



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/9/2023

वसनवान

1. दीनू पुत्र रहीम खां जाति फकीर
2. मुनीर खां पुत्र रहीम खां जाति फकीर
3. सहीदन पुत्री रहीम खां जाति फकीर
4. नस्सी स्त्री स्व. फग्गु पुत्रवधू रहीम खां जाति फकीर
5. फजरू पुत्र फग्गु पोत्र रहीम खां जाति फकीर
6. आसीन पुत्र फग्गु पोत्र रहीम खां जाति फकीर
7. जैकम पुत्र फग्गु पोत्र रहीम खां जाति फकीर
8. रक्खी स्त्री स्व० कल्लू पोत्री रहीम खां जाति फकीर
9. सकुनत पुत्री कल्लू पौत्री रहीम खां जाति फकीर
10. मुस्ताक खां पुत्र कल्लू पौत्र रहीम खां जाति फकीर
11. रहीमी स्त्री स्व० मुन्शी पोत्र बधू रहीम खां जाति फकीर
12. खिल्लू पुत्र मुन्शी पोत्र रहीम खां जाति फकीर
13. मेमन पुत्री मुंशी पोत्री रहीम खां जाति फकीर
14. सुफेदी स्त्री स्व. अस्सू पौत्र बधु रहीम खां जाति फकीर
15. जुबेर पुत्र अस्सू पोत्र रहीम खां जाति फकीर
16. नसरू पुत्र अस्सू पोत्र रहीम खां जाति फकीर
17. वकील पुत्र अस्सू पौत्र रहीम खां जाति फकीर
18. सबाना पुत्री अस्सू पौत्री रहीम खां जाति फकीर
19. सन्ना पुत्र अस्सू पोत्र रहीम खां जाति फकीर
20. मुरीना पुत्र इसाक पोत्री मुन्शी पडपोत्री रहीम खां जाति फकीर
21. अकरम पुत्र ईसाक पोत्र मुन्शी पडपोत्र रहीम खां जाति फकीर
22. सरबीना पुत्री ईसाक पोत्री मुन्शी पडपोत्री रहीम खां जाति फकीर
23. रतीमन स्त्री स्व. हुसैन पुत्र बधु रहीम खां जाति फकीर
24. साहिल पुत्र हुसैन पौत्र रहीम खां जाति फकीर
25. कशमीरा पुत्री हुसैन पौत्री रहीम खां जाति फकीर
26. गुड्डी पुत्री हुसैन पौत्री रहीम खां जाति फकीर
27. समीन पुत्री हुसैन पोत्री रहीम खां जाति फकीर
28. रूकसाना पुत्री हुसैन पौत्री रहीम खां जाति फकीर
29. सरजीना पुत्री हुसैन पौत्री रहीम खां जाति फकीर

  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अखण्ड) राज०



30. असमीना पुत्री हुसैन पोत्री रहीम खां जाति फकीर  
निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज०)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राज० भू.राजस्व अधि० 1956

उपस्थित:—

श्री मनीराम यदुवंशी – अधिवक्ता प्रार्थी

पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 18.07.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 586 के आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.5437 है० वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जो विवादित आराजी है जिसे आगे चलकर प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि उक्त विवादित आराजी में रहीम खां पुत्र नेपाली गलत नाम दर्ज हो रहा है। जबकि सही नाम निवाजी है। जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 85 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ में सही नाम रहीम खां के पिता का नाम निवाजी दर्ज हो रहा है। तथा रहीम खां के मुत्यु प्रमाण पत्र में सही नाम निवाजी दर्ज हो रहा है। यह है कि उक्त गलत नाम के दर्ज होने से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता जैसे अधिक सर्दी, शीतलहर से फसल खराब, ओला वृष्टि, अधिक वर्षा से फसल खराब की जो सहायता मिलती है। उससे वंचित हो रहे हैं। तथा रहीम खां पुत्र नेपाली गलत नाम होने से ऋण आदि का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णाय क्षति हो रही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.5437 है० वाके ग्राम




रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में प्रार्थीगण के पिता, ससुर, बाबा व पड़ बाबा मृतक रहीम खां के पिता का नाम नेपाली के स्थान पर सही नाम निवाजी दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने जवाब में प्रमुखत कथन किया है कि रहीम खां पुत्र नेपाली का सही नाम रहीम खां पुत्र निवाजी है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की ताहिद में दीनू पुत्र रहीम खां के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र/हल्फनामा पेश किया। हल्फनामा के अनुसार मेरे दादा का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में रहीम खां पुत्र नेपाली गलती से लिख दिया गया है। जबकि मेरे दादा का सही नाम रहीम खां पुत्र निवाजी जाति फकीर नि० रामबास तहसील गोविन्दगढ़ है। अतः हाल जमाबंदी में मेरे दादा का नाम नेपाली की जगह रहीम खां पुत्र निवाजी दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना के समर्थन में हाल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता सं. 586, जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता सं. 85, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028, नामान्तकरण की सत्यापित प्रतिलिपि, नकल जमाबंदी संवत् 2029 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर पेश की है।

**136 Correction of errors:-** the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। अप्रार्थी तहसीलदार

  
जमशुद्ध अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) संखण्ड



गोविन्दगढ़ के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार रहीम खां पुत्र नेपाली का सही नाम रहीम खां पुत्र निवाजी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ की हाल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 586 के आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.5437 है0 में प्रार्थीगण के पिता, ससुर, बाबा व पड़ बाबा मृतक रहीम खां के पिता का नाम नेपाली के स्थान पर सही नाम निवाजी दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

(सुभाष यादव)

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

अतः यह आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को मर द्वारा लिखाया

जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0